न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0– 935 सन् 2015

रघुनायक सिंह............वादी

बनाम

रविन्द्र सिंह ....प्रतिवादी

दिनांक– 05.10.2021

उभय पक्ष अनुपस्थित है। आज अभिलेख आवेदकगण की ओर से दिनांक 13.03.2020 को आदेश 1 नियम 10 एवं धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

आवेदकगण का कथन है कि वादी ने यह वाद तकरारी एराजी जमीमा नं0 1 में अपना हिस्सा 3/4 का तख्ता अलग करने वो अन्य अनुतोष की प्राप्ति हेतु दाखिल किया है। वाद की कार्यवाही के दरम्यान इस वाद में एकमात्र वादी रघुनायक सिंह की मृत्यु दिनांक 13.01.2020 को अपने विधिक उत्तराधिकारियों को छोड़कर हो गई। न्यायहित में वादी रघुनायक सिंह के विधित उत्तराधिकारियों को संघर्ष करने हेतु इस वाद में प्रतिस्थापित किया जाना अवश्यक है। अतः निवेदन है कि एकमात्र वादी रघुनायक सिंह का नाम वादपत्र से कलमजद कर आवेदन में लिखित उनके वारिसानों का नाम कलमबद्ध करने की अनुमति दी जाए।

प्रतिवादीगण की ओर से आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ताओं को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन

से विदित है कि इस वाद में एकमात्र वादी रघुनायक सिंह थे जिनकी मृत्यु के संबंध में उनके वारिसानों के ओर से यह आवेदन पक्षकार बनने हेतु दाखिल किया गया है। आवेदकगण की ओर से दाखिल आवेदन शपथ पत्र के द्वारा समर्थित है। ऐसी परिस्थिति में आवेदकगण की ओर से दाखिल आवेदन पोषणीय होने के कारण न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि से एकमात्र वादी रघुनायक सिंह का नाम वादपत्र से काटकर उनके स्थान पर उनके विधिक उत्तराधिकारियों का नाम जो आवेदन में लिखित है उन्हें प्रतिस्थापित करें।

वाद दिनांक 26.10.2021 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।